रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235101
CG-DL-E-13042022-235101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1717] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944
No. 1717] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली 12 अप्रैल, 2022

का.आ. 1804(अ).—यतः, मै. केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नॉलजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो केरल राज्य में एक सरकारी संगठन है, ने केरल राज्य में ग्राम मुलावाना, जिला कोल्लम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2954(अ) दिनांक 19 नवम्बर, 2009 द्वारा उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन में 18.00 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नॉलजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 4.4654 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, केरल सरकार ने उनके पत्र सं. ई&आईटी-ए2/4/2020/ई&आईटीडी दिनांक 11 मई, 2020 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 2.89 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। इसके अलावा, 4.4654 हेक्टेयर (11.03 एकड़) में से 10 एकड़ भूमि केरल सरकार के निर्देशानुसार राजस्व विभाग, केरल सरकार को हस्तांतरित की जाएगी, ताकि इसे एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए मत्स्य विभाग को आवंटित किया जा सके। शेष 1.03 एकड़ का उपयोग केएसआईटीआईएल एसईजेड, कोल्लम के लिए कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण के लिए किया जाएगा;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 4.4654 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 13.5346 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	ब्लॉक संख्या	सर्वे संख्या	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पेरायम	10	392/1 पार्ट	2.5048
2.			393/8	0.2140
3.	मुलावाना		407 पार्ट	1.7466
कुल				**4.4654**
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल				13.5346

[फा. सं. एफ.1/164/2008-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2022

S.O. 1804(E).—Whereas M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Limited, a government organization in the State of Kerala, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Village Mulavana, District Kollam in the State of Kerala;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 18.00 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O.2954(E) dated 19th November, 2009;

AND, WHEREAS, M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Limited has now proposed for de-notification of 4.4654 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Kerala has given its approval to the proposal vide letter No. E&IT-A2/4/2020/E&ITD dated 11th May, 2020;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 4.4654 hectares of the above the Special Economic Zone. Further, out of 4.4654 hectares (11.03 acres), 10 acres of land will be transferred to Department of Revenue, Government of Kerala, as per the direction of Government of Kerala for allotting the same to Fisheries Department for establishing a

Research Centre. The remaining 1.03 acres would be utilized for construction of working Women's Hostel for KSITIL SEZ, Kollam;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 4.4654 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 13.5346 hectares. The Survey numbers and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	**Name of Village**	**Block No.**	**Survey No.**	**Total Area (in Hectares)**
1.	Perayam	10	392/1 Part	2.5048
2.			393/8	0.2140
3.	Mulavana		407 Part	1.7466
Total				**4.4654**
Total Remaining Area of SEZ after above deletion				13.5346

[F. No. F.1/164/2008-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.04.13 15:37:43 +05'30'